बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक –वि०प्रा०(VI) विविध–02/19 – 1074 **/दिनांकः–** 28/3/2019

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सचिव,
   राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, पटना।
2. परियोजना निदेशक,
   B.C.S.T. तारामंडल, पटना।
3. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
   राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक/
   राजकीय महिला पोलिटेकनिक/
   राजकीय औद्योगिक विद्यालय (बिहार)।

विषयः– क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभाग को प्रेषित किये जाने वाले पत्र के शीर्ष में विभागीय पदनाम– "बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" अथवा "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के नियंत्रणाधीन आदि शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः क्षेत्रीय कार्यालयों यथा–SBTE/ BCST/ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक/ राजकीय औधोगिक विद्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी/ प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य द्वारा विभाग को प्रेषित किये जाने वाले पत्र के शीर्ष में विभागीय पदनाम यथा– "बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" अथवा "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के नियंत्रणाधीन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। विभागीय पदनाम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विभाग द्वारा ही किया जाना है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सिर्फ संबंधित कार्यालयों का नाम जैसे– SBTE/ BCST/ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक/ राजकीय औद्योगिक विद्यालय आदि का प्रयोग पत्र के शीर्ष में किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप–

प्राचार्य का कार्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग (पटना) अथवा प्राचार्य का कार्यालय, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी आदि।

अतएव निदेशित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों यथा–राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद (SBTE)/ BCST (तारामंडल)/ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/ राजकीय औद्योगिक विद्यालय द्वारा विभाग से किये गये पत्राचार अथवा विज्ञापन प्रकाशन संबंधी पत्र के शीर्ष में विभागीय पदनाम का प्रयोग कदापि नही किया जाय। भविष्य में यदि ऐसा पाया जाता है, तो वैसे प्रभारी पदाधिकारी/ प्राचार्य /प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई की जाएगी।

कृपया इसे आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

28.03.19

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार ,पटना।

Avishek/28.03.19